संख्या-210/2018/3170/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाजकल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर 2018

विषय:- **रिट याचिका संख्या-सी 29602/2018 आशुतोष कुमार मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री आशुतोष कुमार मिश्रा की वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2153/स.क./शिक्षा-अ/सा0वर्ग/04/ 2018-19, दिनाक-14.09.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची श्री आशुतोष कुमार मिश्रा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल छात्र की वर्ष 2017-18 की सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल **रूपये-30,760/-(रूपये तीस हजार सात सौ साठ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित करेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-210/2018/3170(1)/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।